

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु
आवेदन प्रारूप

प्रति,

- कलेक्टर,
जिला मध्यप्रदेश।
- संयुक्त/ उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
जिला मध्यप्रदेश।

आवेदिका का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	आवेदिका के पति का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
--	---

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता प्रदाय करने बावत।

भाग- एक : आवेदिका की जानकारी

- आवेदिका की 9 अंकों की समग्र आईडी क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--
- आवेदिका का 12 अंकों का आधार कार्ड नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(यदि उपलब्ध हो तो)
- आवेदिका का नाम
- जाति वर्ग

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
- आवेदिका का जन्म तिथि/...../..... आयु.....
- आवेदिका का 10 अंकों का मोबाईल नम्बर
- कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता
- स्व. पति का नाम पूर्व विवाह होने की दिनांक
- स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक
- क्या परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है ? हां / नहीं
यदि हां तो बीपीएल कार्ड क्रमांक जारी दिनांक
- क्या आवेदिका आयकरदाता है ? हां / नहीं
आवेदिका की वार्षिक आय
- क्या आवेदिका शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है ? हां / नहीं
- क्या आवेदिका को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं
- क्या आवेदिका दिव्यांग है ? हां / नहीं
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत.....
- आवेदिका का बचत खाता नम्बर की जानकारी :

बचत खाता नम्बर	बैंक का नाम व पता	आईएफएस कोड नम्बर
- आवेदिका के नाबालिग बच्चों की जानकारी (यदि है तो)
 - बच्चों का नाम आयु..... लिंग..... समग्र आईडी
 - बच्चों का नाम आयु..... लिंग..... समग्र आईडी

आवेदिका के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

:: स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ::

में पति निवासी

..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है,
3. आयकरदाता नहीं हूं,
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूं,
5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,
6. मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही मेरा पति था,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि प्राप्त कर ली गई है तो मुझसे मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है।

दिनांक

स्थान

आवेदिका के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान